



162/2026/1/1487992/2026

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में चहारदीवारी व गेट (04 नग) के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०/बजट/2026-27/117, दिनांक 13.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-139/2025/1/1187495/2025-71-3099/6/2021-03, दिनांक 29.12.2025 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में चहारदीवारी व गेट (04 नग) के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत ₹0 408.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में ₹0 150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

3- यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-149/2026/1/147357/2026-71-3099/6/2021-03, दिनांक 23.09.2026 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में चहारदीवारी व गेट (04 नग) के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत लागत ₹0 408.69 लाख को संशोधित करते हुए टेण्डर के उपरान्त प्राप्त लागत ₹0 408.15 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में चहारदीवारी व गेट (04 नग) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-80- मेडिकल कालेज, अयोध्या हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि ₹0 1800.00 लाख के सापेक्ष ₹0 200.00 लाख (₹0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-139/2025/1/1187495/2025-71-3099/6/2021-03, दिनांक 29.12.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 42100310580 मेडिकल कालेज, अयोध्या **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, लखनऊ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।